

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग—अनुभाग—2
संख्या—5930 III (2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी०सी०
देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

MD Tinty 10-12-18

:: कार्यालय ज्ञाप ::

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—2087 / III
(2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी०सी० दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा ₹ 1.00 लाख से ₹ 150.00
लाख तक की लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की विभिन्न दरें निर्धारित की गयी हैं किन्तु
₹ 150.00 लाख से अधिक की लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की दरें निर्धारित नहीं की गयी
है, जिसके कारण लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों/वृत्तों द्वारा अलग—अलग धनराशि की
मांग निविदा फार्म शुल्क हेतु की जा रही है।

2. अतः ₹ 150.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की दर
₹ 5000.00 + जी.एस.टी. निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैं:-

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—781 / XXVII/(7) / 2018 दिनांक
29 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—5930 / III (2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी०सी० तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त, कुमार्यू/गढवाल मण्डल, नैनीताल / पौडी।
- 4— प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7— समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8— समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9— वित्त अनुभाग—2 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11— लोक निर्माण अनुभाग—1 / 3, उत्तराखण्ड शासन।
- 12— गार्ड बुक।

1-T
up nanci
Q1/E
11.12.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

आज्ञा से,
(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव